

ट्रैक्टर - ट्रॉली के निकले चार मालिक, कतन्नी का काला सच आया सामने

अनूपपुर, यशभारत। इन दिनों कोतमा नगर में चल रहे अवैध गतिविधियों की सूचना देना नगर के चौथे पहरेदारों पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मामला कोतमा में रेत (पीला सोना) की चोरी करने वाले मोहम्मद इस्ताक उर्फ कतन्नी का है। जिसके ट्रैक्टर को रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन किए जाने की सूचना पुलिस की 15 अप्रैल को दी गई और कोतमा पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर को बस स्टैंण्ड रोड मुखर्जी चौक कोतमा से जब्त करते हुए चालक सूरज केवट पिता धनीराम उम्र 27 वर्ष निवासी लहसुई एवं शशी सिंह पति गुड्डू सिंह लहसुई के खिलाफ धारा 379, 414, खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3) / 177 के तहत कार्यवाही भी की गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक सूरज केवट उर्फ लाला ने 22 अप्रैल को नगर के तीन चौथे पहरेदारों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत थाने में दर्ज कराई।

कतन्नी का कारनामा

पूरे मामले पुलिस द्वारा रेत की चोरी के मामले में जब्त कर कार्यवाही की गई। जिसमें पुलिस ने चालक के बताये अनुसार ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 एए 6891

एवं ट्रॉली क्रमांक एमपी 18 एच 2579 के मालिक शशी सिंह पति गुड्डू सिंह निवासी लहसुई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जबकि उक्त मामले में ट्रैक्टर चालक सूरज केवट उर्फ लाला ने नगर के चौथे पहरेदारों को फंसाने के लिए की गई झूठी शिकायत में उक्त ट्रैक्टर के मालिक का नाम मोहम्मद इस्ताक उर्फ कतन्नी लिखा गया है। उक्त कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर वा ट्रॉली का उपयोग जहां व्यवसाईक उपयोग हेतु उनके टीपी में साफ देखने को मिला, जहां वह अपने किसी निजी कार्य हेतु रेत की टीपी नहीं बल्कि व्यवसाईक उपयोग हेतु टीपी कटवाते हुए रेत की बिक्री नगर के लोगो को कर रहा है। इस पूरे प्रकरण में जैसे ही ट्रैक्टर वा ट्रैक्टर ट्रॉली के वास्तविक मालिक के सामने आने और उनका नाम एफआईआर में शामिल होने के बाद कतन्नी का दिखाया गया कल सच सामने आ जाएगा।

ट्रैक्टर व ट्रॉली के चार अलग-अलग मालिक

जब पूरे मामले में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 एए 6891 एवं ट्रॉली क्रमांक एमपी 18 एच 2579 के मालिक का पता चला तो उक्त ट्रैक्टर वा ट्रॉली दोना के मालिक अलग-अलग मिले। सबसे बड़ी बात की ट्रैक्टर चालक सूरज केवट के बताए अनुसार

हुई झूठी शिकायत, वास्तविक मालिक पर कब होगी एफआईआर



ट्रैक्टर इंजन वा ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक मोहम्मद इस्ताक और शशी सिंह दोना ही नहीं निकले। जब पूरे मामले की जानकारी निकाली गई तो उक्त ट्रैक्टर वा ट्रॉली के मालिक कोई और ही निकले। जिसके बाद मोहम्मद इस्ताक उर्फ कतन्नी का पूरा खेल सामने आ गया।

हुई फर्जी शिकायत

मोहम्मद इस्ताक उर्फ कतन्नी की पोल उस समय खुली जब उसके द्वारा सूरज केवट से कराई शिकायत में अपने आप को मालिक बताया तथा एफआईआर के समय पुलिस को शशी सिंह को मालिक दिखाया गया, लेकिन

कब होगा मामला दर्ज

रेत के अवैध परिवहन में 15 अप्रैल सलिस मिले उक्त ट्रैक्टर वा ट्रॉली के मालिक अलग-अलग है, जिसमें पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सूरज एवं मालिक शशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन असल में उक्त ट्रैक्टर के वास्तविक मालिक सियावती गोड़ पति अंगद गोड़ निवासी चापानी लामाटोला एवं ट्रैक्टर ट्रॉली के वास्तविक मालिक दशरथ गोड़ पिता बुड्डूआ सिंह गोड़ निवासी अमगवां के साथ रेत का अवैध परिवहन कराने वाले मुख्य सरगना मोहम्मद इस्ताक उर्फ कतन्नी का नाम विवेचना में जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोतमा पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच ना करते हुए इनका नाम उक्त एफआईआर में नहीं जोड़ा गया है।

इनका कहना है।

मामले की शिकायत दोनो तरफ से प्राप्त हुई है, जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी।
सुन्देश मरावी, थाना प्रभारी कोतमा

सरपंच सचिव का जादुई करिश्मा-बिना मजदूरी किए डाल दिया खाता में रुपया अब कर रहे वसूली

प्रताड़ित श्रमिकों ने कलेक्टर सीईओ से की शिकायत कार्यवाही की मांग

अनूपपुर, यशभारत। जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत पंचायत में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रकरण आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं परंतु विभागीय शासन प्रशासन अमला आंख मूंद कर बैठे हुए हैं जानता हाय-हाय चिन्नर रही है और न्याय की मांग कर रही है परंतु अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है।

यह पूरा मामला

जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत पिपरिया का मामला जो हमेशा ही भ्रष्टाचार के मामले में कभी पीछे नहीं रहा है यहां का कई बार शिकायतें हुई और भ्रष्टाचार उजागर हुआ परंतु सरपंच सचिव पर कार्यवाही की तलवार चलने से चूक रहा।पिपरिया पंचायत ग्राम कुसुम्हाई निवासी तीन व्यक्तियों सुखदेव पिता ऐतु बैगा राजकुमारी पति सुखदेव बैगा एवं मुन्नी बाई पति ऐतु बैगा ने अपने लिखित आवेदन कलेक्टर अनूपपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को प्रेषित कर आरोप लगाते हुए लेख किया है कि सरपंच दुन्खू कोल एवं सचिव मनोज पटेल के द्वारा हम प्राथियों का खेत तालाब (काशी पिता लालू पटेल) योजना में सुखदेव के नाम से जॉब कार्ड क्रमांक 3/811 अकाउंट



नंबर 3728101004987 केनरा बैंक अनूपपुर में राशि 8,360 रुपए एवं राजकुमारी के नाम से जॉब कार्ड क्रमांक 3/811 अकाउंट नंबर 941610 1100 11651 बैंक ऑफ़ इंडिया अनूपपुर में राशि 7,480 रुपए तथा मुन्नी बाई के नाम से जॉब कार्ड क्रमांक 3/27 अकाउंट नंबर 202391010004816 ग्रामीण बैंक अनूपपुर में राशि 8,800 रुपए फर्जी तरीके से सरपंच सचिव के द्वारा हमारे द्वारा बिना मजदूरी कार्य किए ही उक्त राशि हमारे खाते में डाल दिया गया है और अब सरपंच सचिव के द्वारा प्रतिदिन हमारे

घर आकर खाते से पैसा निकाल कर देने की बात कह रहे हैं, जबकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से पंचायत में मनरेगा के तहत किसी भी प्रकार का कोई मजदूरी का कार्य नहीं किया गया है अवैध एवं फर्जी तरीके से सरपंच सचिव द्वारा हमें पैसा खाते में डाल दिया गया है और अब हमें पैसा निकाल कर देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।

शिकायतकर्ताओं की कार्यवाही की मांग

ऐसा यह पहला मामला नहीं है कि पिपरिया पंचायत के सरपंच सचिव भ्रष्टाचार का जादूई करिश्मा पहले भी ना कर गुजरे हो चूके हैं सूत्रों से यह भी खबर मिलती है कि आदिवासी सरपंच के रिमोट कंट्रोल वहां के उप सरपंच के हाथों में है जो मुद्दुभास का स्वांग रचकर मीठे शब्दों का कटारी जनता के ऊपर चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इस भ्रष्टाचार का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा कर रखे हैं।उक्त शिकायतकर्ता तीनों व्यक्तियों के द्वारा कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग किया है कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच सचिव के ऊपर आवश्यक कार्यवाही करने की दया करें।

नियम-कानून का पालन कराने वाले ही धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं धज्जियां

आखिरकार किस दौर से गुजर रही है कोयलांचल क्षेत्र बिजुरी कि कानून-व्यवस्था

अनूपपुर, यशभारत।

आदिवासी बाहुल्य से परिपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के अंतिम छोर पर बसा अनूपपुर जिला दिन प्रतिदिन सुखियों में बना रहता है। विशेषकर जिला अन्तर्गत कोयला उत्पादन के लिए मशहूर थानाक्षेत्र बिजुरी। जहां कि बिगड़ चुकी नेतृत्व विहीन कानून व्यवस्था आमजनों को रास नहीं आ रहा है। कारण कानून के रक्षकों द्वारा थानाक्षेत्र में अजीबों-गरीब कारनामों को अंजाम देने पर कोताही नहीं बरती जा रही है। वहीं नियम कानून का दंगल शेलने के लिए कानूनी तौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारों द्वारा केवल थानाक्षेत्र के आमजन को ही विवश कर बाध्य श्रेणी में रखा गया है। थाना क्षेत्र बिजुरी में संचालित नियम कानून का दोहरा मापदण्ड सचिवान द्वारा उल्लेखित न्याय व्यवस्था प्रणाली के पूर्ण खिलाफत है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने कि जिम्मेदारी उठाने वाले जातकों द्वारा खुलेआम नियम-कानून का धज्जियां उड़ा। यह साबित करने का प्रयास समय-समय पर किया जाता है कि। सुबे के भीतर जब तक भाजपा शासित सरकार है तब तक वही चरण करने वाले जिम्मेदारों के लिए संविधान और शासन-प्रशासन का नियम-कानून व्यवस्थाओं कि महत्वता महज शून्यमात्र से



अधिक और कुछ भी नहीं। यही एकमात्र कारण माना जा रहा है कि नगर के सेनापति ने भी स्वयं को कानून का शोषेष्ठ मानकर, संवैधानिक तौर पर मिली कानून व्यवस्था प्रणाली को नियमों के हवनकुंड में आहुति देने पर बिल्कुल भी गुरेज नहीं खाए। और रविवार 28 अप्रैल कि रात्रि आदर्श शासकीय कार्यालय अर्थात थाना प्रिसर में विशाल दावत ए भोज का आयोजन कर दिया गया। जहां उमड़ी भीड़ इस बात कि गवाही चीख-चीखकर देता रहा कि यह आदर्श आचरण संहिता के नियमों के ठीक विपरीत है। एवं इस तरह का आयोजन पार्टी व्यक्तीगत स्थल पर ही शोभायमान है। ना कि सार्वजनिक कार्यालय में।

कानून का पालन कराने वाले ही उड़ाने लगे धज्जियां

किसी भी तरह के अवैधानिक कार्यों को पनाह व अंजाम देने वालों पर न्यायदण्ड विधान संहिता के अनुरूप कार्यवाई करने कराने का जिम्मा उठाने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मी ही अगर नियम-कायदों को उपेक्षित कर मनमानी पर अमादा हो जाएं, और इनके द्वारा किए गए कारनामों पर उच्चस्तरीय अमला भी मौन स्वीकृति प्रदान कर, मूकदर्शक बन जाएं। तब सवाल उठना लाजिमी है कि कानून कि मर्यादा कितनी बरकरार रहेगी। और आमजन कानून का पालन करने कि सबक इससे सीखेगा कैसे।

मर्यादा बनाए रखने के लिए उठाना चाहिए कदम

समूचा प्रदेशभर में भिन्न-भिन्न जिलों के कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने कि जिम्मेदारी शासन द्वारा प्रत्येक जिलों के पुलिस कप्तानों को सौंपी गयी है। जहां अनूपपुर जिले में भी पदस्थ पुलिस कप्तान, संविधान एवं शासन के मंशानुरूप सचिवन के कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ व बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मसलन अपराध एवं अपराधियों सहित नियमों के विपरीत कार्य करने वाले लोगों पर बिना किसी भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाए, न्याययोचित कार्यवाई करने कि जिम्मेदारी भी इन्ही के जिम्मेदार कंधों पर है। उक्त शख्स फिर चाहे आम नागरिक हो या अधीनस्थ पुलिस कर्मी। नियम और कानून का पालन सभी के लिए जरूरी और आवश्यक है। वह भी बिना भेदभाव व निष्पक्षपूर्ण तरीके से। जिससे कानून कि मर्यादा बरकरार रह सके। एवं भविष्य में ऐसी गुस्ताखी करने कि जहमत अन्य कोई भी आम और खास ना कर सके।

संत मंडल समीक्षा बैठक में वन विभाग ने रुद्रगंगा में इको फ्रेंडली कुटिया दस दिवस में कराएगा पूर्ण रुद्रगंगा फवकड़ बाबा की बन रही इकोफेंडली कुटिया जिस पर संतो की है पूरी नजर

अनूपपुर, यशभारत। मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली पवित्र नगरी अमरकंटक में रुद्रगंगा स्थल पर अनेक वर्षों पुराना फक्कड़ बाबा की कुटिया फॉरेस्ट विभाग ने कुछ दिनों पहले सुबह 4 बजे अचानक उखाड़ फेंका था जिस पर अमरकंटक साधु समाज व शिष्य भक्तगण काफी नाराजगी जताई थी और आवंदन दे मांग भी रखी थी। जिस पर जिला कलेक्टर ने आश्वासन दे कहा की टीम गठित कर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही भी होगी साथ ही रुद्रगंगा स्थल पर नया इको फेंडली कुटिया का जल्द निर्माण भी कराया जाएगा।। जांच टीम भी अपना निर्वहन कार्य कर रही और फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी कार्य कराया भी जा रहा । इसी से संबंधित आज पुनः समीक्षा बैठक कल्याण सेवा आश्रम के



पुस्तकालय में अमरकंटक के संत समिति मंडल ने फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ और रेंजर की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई जिसमे मुख्य रूप से चर्चा की गई की इको फेंडली कुटिया कब तक तैयार हो पाएगी तथा जो कुटिया अंदर मां नर्मदा जी की स्थापित मूर्ति काले पत्थर की खंडित की जा चुकी है उसे दूसरी लाने में कितना समय लगेगा। रुद्रगंगा में जो इको फेंडली का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है उसमे गति नहीं है जिस पर

साधु समाज ने समय निर्धारण की बात रखी जिस पर फॉरेस्ट विभाग के रेंजर ने दस दिवस काल में पूर्ण करने की बात कही। उपस्थित पुष्परजगढ़ फॉरेस्ट एसडीओ ने आश्वासन दे कहा की जल्द कार्य पूर्ण होंगे और मां नर्मदा जी की मूर्ति भी जल्द आर्डर से बनवाकर मंगावाई जायेगी। रुद्रगंगा फक्कड़ आश्रम की सीमाओं का भी फेसिंग लगाकर साथ ही साथ कार्यपूर्ण किया जाय इसे भी विभाग ने पूर्ण करने की बात कही। इको फेंडली हो रहे

कार्य पर सभी संत गण, भक्त गणों की रोजाना नजर बनी हुई है। बीच बीच में अधिकारीगण भी स्थल पर मुलाकात हो जाने पर चर्चा कर बेहतर बनाने की जिज्ञासा संत गण करते आ रहे है। आज के इस बैठक में मुख्यरूप से संतो में श्रीमहत रामभूषण दास महाराज (शांति कुटी), स्वामी धर्मानंद महाराज (कल्याण सेवा आश्रम) , स्वामी लवलीन महाराज (परमहंस धारकुंडी आश्रम) , महंत हनुमान दास महाराज (शिवगोपाल आश्रम) नर्मदा मंदिर पुजारी पंडित धनेश द्विवेदी, संत नाथ बाबा , प्रवीण , पुष्परजगढ़ एसडीओ फॉरेस्ट प्रदीप खत्री , फॉरेस्ट रेंजर अमरकंटक व्ही के श्रीवास्तव , दिनेश साहू , शिव खैरवार , पत्रकारगण आदि लोग आज के समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 27 बाइक बरामद झोलाछाप डॉक्टर बेचता था चोरी की बाइक कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हो सकते हैं और खुलासे

शहडोल, यशभारत। शहडोल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है, यह गिरोह बड़े ही शांतिर अंदाज में बाइक चोरी करता था और उसे बेच देता था, इस गिरोह में एक शख्स छत्तीसगढ़ का निवासी है, जो पेशे से झोलाछाप डॉक्टर है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बड़े शांतिर अंदाज में बाइक तो चोरी करते ही थे, साथ में उस बाइक को दूसरे ग्राहकों को बेच भी देते थे, इसके लिए एक पूरा गिरोह ही सक्रिय था, जो अपने अपने क्षेत्र के मास्टरमाइंड थे, ये चोर गिरोह बड़े शांतिर अंदाज में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता था।

मिली बड़ी सफलता 27 बाइक जप्त

शहडोल कोतवाली थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि %जिस बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है, उनमें चार लोग हैं और यह चारों ही लोग बड़े शांतिर अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, उनके पास से 27 चोरी की बाइक भी जब्त की गई है, उनके खिलाफ कई अलग-



अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है, इन बाइक चोर गिरोह से और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

चोरी की वारदात को ऐसे देते थे अंजाम

कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि यह बाइक चोर गिरोह बड़े शांतिर अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। जिसमे राजेश सिंह गोंड नाम का व्यक्ति सुनसान जगह से पहले बाइक की चोरी करता था, किसी की भी बाइक मौका पाने पर उड़ा देता था, लोगों को पता नहीं चलता था और फिर उसके बाद वो अपने दूसरे साथी राजेश मौर्य से संपर्क करता था। राजेश मौर्य के संपर्क से उसके जीजा को जो छत्तीसगढ़ के कोटाडोल का रहने वाला है, जिसका नाम

परशुराम मौर्य है, ये पेशे से झोलाछाप डॉक्टर भी है, ये उस चोरी की बाइक के लिए करस्टम ढूंढता था और उसे बेचने में मदद करता था। बाइक बेचने से पहले इस चोर गिरोह में एक और युवक था जिसका नाम रवि कुशावह है और यह कुछ गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज भी बना लेता था। उन फर्जी दस्तावेजों की मदद से राजेश मौर्य के जीजा परशुराम मौर्य जो की झोलाछाप डॉक्टर है, उसके पहचान का फायदा उठाते हुए उसके माध्यम से इन गाड़ियों को बेचा जाता था। बताया जा रहा है कि जो परशुराम मौर्य है, उसकी क्षेत्र में सामाजिक पकड़ अच्छी थी, क्षेत्र में उसकी पहचान अच्छी थी, लोग उस पर भरोसा करते थे तो उसके भरोसे पर गाड़ी को खरीद भी लेते थे, लेकिन अब जब पुलिस ने इस बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद से कई हैमन कर देने वाले बातें सामने आ रही हैं।